न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 182/17 (RCMS No.2017/00196) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामनाथ पुत्र गनेशी
2. पप्पू पुत्र रामनाथ
3. भगवानदेई पत्नि रामनाथ

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खुडिला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. गायत्री वेवा वासदेव
2. राजेन्द्र पुत्र वासदेव
3. सुरेश पुत्र वासदेव
4. मुन्ना लाल पुत्र वासदेव

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खुडिला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

5. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 13.07.16

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

नि र्ण यदिनांकः—31.01.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर के निर्णय दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं किरैस्पो0 1 लगायत 4 के पति/पिता ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 136 का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि आराजी ख0 नं0 340 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा वॉके ग्राम खुडिला प्रार्थी/रैस्पो0 की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इसका नक्शा त्रुटिपूर्ण है। उक्त आराजी मौके की स्थिति के अनुसार तथा पुराने नक्शा के अनुसार रास्ता सड़क से लगी हुई है। ख0 नं0 339 रकवा 3 विस्वा अप्रार्थी/अपीलान्ट का कब्जा है। जिन्होंने धमकी दी है कि बन्दोवस्त ने ख0 नं0 339 को नक्शा अक्स में काफी बड़ा बना दिया है। सड़क के उक्त खेत को नक्शे में लगा दिया

है। अब हम कब्जा करेंगे। यह जानकारी राजस्व रिकार्ड की नकलें लेने पर हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/रैस्पो0 के वास्तविक कब्जे काश्त की आराजी ख0 नं0 340 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा को पूराने नक्शे के अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी की रिपोर्ट ली है जिसमें अंकित किया है कि आराजी ख0 नं0 339 व 340 की नक्शे में श्रीमान् एस.डी.ओ राजाखेडा के आदेश दिनांक 06.11.04 के अनुसार मौजूदा नक्शे में दुरूस्ती कर दी गई है।अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि आराजी ख0 नं0 339 व 340 की दुरूस्ती की जा चुकी है। अतः अब प्रकरण में किसीकार्यवाही की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र धारा 136 खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि बन्दोवस्त विभाग ने गत नक्शा व मोके के विपरीत ख0 नं0 340 का खाना छोटा कर दिया है और ख0 नं0 339 का खाना बड़ा कर दिया है। अतः गत के मुकाबले नक्शा दुरूस्ती की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.10.2004 से हाल नक्शा में गत नक्शे अनुसार दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार राजाखेडा को कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील पेश की जो दिनांक 25.09.2007 को स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 11.10.04 निरस्त करते हुऐ प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा ने संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्देशों की पालना नही करते हुऐ प्रकरण को बिना सुनवाई किये ही कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारा में ले जाकर गलत तरीके से दिनांक 13.07.2016 को निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 21.07.2016 तारीख नियत थी। अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट की कोई जानकारी नही थी न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस भेजा गया। अधीनस्थ न्यायालयने अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित कर दिया है। उनका यह भी तर्क है कि संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.09.07 में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि तहसीलदार राजाखेडा से हाल व साबिक रिकार्ड एवं मौकेकी रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण मैरिट पर निस्तारण करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन निर्देशों की कतई पालना नही की है। केवल पटवारी हलका की रिपोर्ट पर बिना मैरिट पर सुने प्रकरण का निस्तारण एक तरफा में कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कियाजावे तथा प्रकरण मैरिट पर सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि पूर्व में प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा ने प्रकरणकी दुरूस्ती करने के आदेश दिये थे। जिसके आधारपर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में पटवारी से रिपोर्ट ली थी। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आदेश की पालना में दुरूस्ती कर दी गई है, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही है। इसीलिये प्रकरण का निस्तारण किया है, जिसमें किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 11.10.2004 में हाल नक्शा में गत नक्शे अनुसार दुरूस्ती के आदेश पारित किये थे। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश की थी जो दिनांक 25.09.2007 को स्वीकार की गयी थी तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था जिसमें निर्देश दिये गये थे कि पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर देकर तहसीलदार से मौका व साबिक हाल मिलान रिपोर्ट लेकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशों की पालना नही की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से मौका व साबिक हाल मिलान की रिपोर्ट लेकर विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिये था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि पत्रावली साक्ष्य में चल रही थी जिसमें आगामी पेशी 21.07.16 नियत थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरणको राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट एस.डी.ओ. कार्यालय राजाखेडा में रख कर पटवारी से मौखिक आदेश से रिपोर्ट लेकर एक लाइन में निर्णय पारित कर दिया है, जो उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2007 में दिये गये निर्देशों की पालना में स्पीकिंग आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तहसीलदार से साबिक–हाल मिलान एवं मौका रिपोर्टलेकर गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.03.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक31.01.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर